**प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 08.06.2025**

### थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी अभिरक्षा में लिया गया, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 24.05.2025 को वादी श्री शेखर निवासी यूनिवन रेजीडेन्सी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद द्वारा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर लिखित सूचना दी गयी कि वादी द्वारा दिनांक 23/24.05.2025 की रात्रि में अपनी मोटरसाइकिल स्पलेन्डर प्रो घर के बाहर खडी की थी, अज्ञात चोरों द्वारा उक्त मोटरसाइकिल को चोरी कर लिया गया है। इस सूचना पर तत्काल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी व मोटरसाइकिल की बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल के आस पास लगे सीसीटीवी कैमरे व मैनुअल इनपुटस आदि के आधार पर दिनांक 07/08.06.2025 की रात्रि में चैकिंग के दौरान उपरोक्त चोरी की घटना कारित करने वाले 01 अभियुक्त लक्की पुत्र महेश जाटव निवासी हाल पता अरुण जाटव के मकान में राहुल विहार थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को माया फार्म हाउस ताज हाइवे थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया तथा 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया, जिनके कब्जे से उपरोक्त घटना से सम्बन्धित चोरी की मोटरसाइकिल स्पलेन्डर प्रो जिस पर गलत नम्बर की प्लेट लगी थी को बरामद किया गया। उपरोक्त मोटरसाइकिल की बरामदगी व गलत नम्बर प्लेट के आधार पर अभियोग में धारा 317(2)/345(3) BNS की वृद्धि करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण–**

अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि हमसे जो चोरी की मोटर साइकिल बरामद हुई है वह हमने कुछ दिनों पहले रात्रि में यूनिवन रेजीडेन्सी से एक घर के बाहर से चोरी की थी, जिस पर हमने पुलिस से बचने व पहचान छुपाने के लिए गलत नम्बर प्लेट लगा दी थी। जिसको हम बेचने की फिराक में लगे थे कि पुलिस ने हमें पकड लिया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता–**

(1) लक्की पुत्र महेश जाटव निवासी हाल पता अरुण जाटव के मकान में राहुल विहार थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष

(2) एक बाल अपचारी (**अभिरक्षा में**)

**आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग**

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

### थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 15.05.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि वादी की पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष 10 महीने के घर से ऑफिस की कहकर नोएडा के लिए जाने और वापस ना आने के सम्बन्ध में। जिसके सम्बन्ध में तत्काल थाना लोनी बॉर्डर पर सुसंगत धारा- 137(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीडिता की बरामदगी हेतु टीमें गठित की गयी। तत्पश्चात थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा मैनुअल ईनपुट व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पीडिता को बरामद किया गया तथा पीडिता के

बयानों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 64(1)/3/4 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी तथा प्रकाश में आये अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई।

आज दिनांक 08.06.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त मोहम्मद साहिल पुत्र मोहम्मद शकील निवासी C-158 गली नम्बर11 मदनपुर खादर थाना कालिंदी कुंज दिल्ली उम्र करीब 21 वर्ष को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि वादी की पुत्री मेरे साथ नोएडा में एक कम्पनी में काम करती थी वहीं हमारी जान पहचान हुई। जिससे मैंने बातचीत करना शुरू कर दिया था। मैं वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था तथा मैंने उसके साथ गलत काम किया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पताः-

अभियुक्त मोहम्मद साहिल पुत्र मोहम्मद शकील निवासी C-158 गली नम्बर11 मदनपुर खादर थाना कालिंदी कुंज दिल्ली उम्र करीब 21 वर्ष।

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम

## थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के कुल 4280/- रुपये बरामद।

दिनांक 01.06.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा दिनांक 31.05.2025 की रात्रि को मन्दिर के दानपात्रों से रुपये चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा 305 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 08.06.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त सत्यम उर्फ करीयल पुत्र मानसिंह निवासी शिव मंदिर के पास शिव वाटिका थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी के 4280/- रुपये बरामद हुए। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि ये रुपये मैंने मौका पाकर उत्तरांचल सोसाइटी में पड़ने वाले दुर्गा मंदिर के दानपात्र से कुछ दिन पहले चोरी किये थे।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

सत्यम उर्फ करीयल पुत्र मानसिंह निवासी शिव मंदिर के पास शिव वाटिका थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष

**बरामदगी का विवरण-**

चोरी के 4280/- रुपये बरामद।

**आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-**

अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर चोरी/बरामदगी का 01 अभियोग पूर्व से पंजीकृत है तथा उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

## थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 05.06.2025 को थाना मुरादनगर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त आमिर खान द्वारा वादिया की बडी पुत्री उम्र करीब 18 वर्ष को अपने जाल में फंसाकर व अमिर के दोस्त मोनू खान द्वारा वादिया की छोटी पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष को जाल में फंसाकर गलत काम करना तथा वादिया के साथ भी डरा धमका कर गलत काम करना तथा वादिया की पुत्रियों के आपत्तिजनक फोटो व विडियो वायरल करने की धमकी देना तथा ब्लैक मेल कर वादिया की पुत्री से 70,000/ - रूपया हडप लेना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल धारा 64/308(5)/351(3) बीएनएस 3/4 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 08.06.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मैनअल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.आमिर खान उर्फ आमिर काजी पुत्र जमरुद्दीन काजी नि0 महेश धी वाली गली म0न0 148 मौहल्ला व्यापारीयान कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष 2.मोनू खान उर्फ फैसल काजी पुत्र नसीम काजी नि0 महेश घी वालीगली मोहल्ला व्यापारियान कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्त आमिर ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं पीडिता से कोरोना काल मे मैडिकल स्टोर के माध्यम से सम्पर्क मे आया जिसके बाद से ही मैं पीडिता के घर आता जाता रहता था तथा ताबीज व पानी पढाकर लाकर पूरे परिवार को पिलाता रहा और बोलता था कि इससे घर मे बीमारी नही आयेगी व सुख शान्ति बनी रहेगी जिसके बाद मैने वादिया की बडी लडकी को अपने जाल में फंसाकर होटल ले जाकर सम्बंध बनाये व मेरा दोस्त मोनू खान उर्फ फैसल ने वादिया की छोटी बेटी को अपने जाल में फंसाकर सम्बंध बनाने लगा तथा वादिया को ब्लैक मेल कर वादिया के साथ भी सम्बंध बनाता रहा तथा ब्लैक मेल कर उनसे 70,000 हजार रुपये हडप लिये।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण नाम व पता –**

1.आमिर खान उर्फ आमिर काजी पुत्र जमरुद्दीन काजी नि0 महेश धी वाली गली म0न0 148 मौहल्ला व्यापारीयान कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष

2.मोनू खान उर्फ फैसल काजी पुत्र नसीम काजी नि0 महेश घी वाली गली मोहल्ला व्यापारियान कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष

**आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-**

अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

## थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 03.06.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि उसकी नवविवाहिता पुत्री उम्र 26 वर्ष के ससुरालीजन व अन्य रिश्तेदार द्वारा वादी की पुत्री से दहेज की मांग करना व दहेज के लिये प्रताडित करना जिससे परेशान होकर वादी की नवविवाहिता पुत्री द्वारा तेजाब पी लेना जिससे उसकी मृत्यु हो जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा 80/85 बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 07.06.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त त्रिलोक नाथ पुत्र सतीश कुमार निवासी गली नम्बर 1 पुष्पा गार्डन तिलकराम कॉलोनी सोम बाजार निकट पाल डेयरी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष व रविन्द्र पुत्र सतीश कुमांर निवासी गली नम्बर 1 पुष्पा गार्डन तिलकराम कालोनी सोम बाजार निकट पाल डेयरी थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्त त्रिलोक नाथ ने पूछताछ के दौरान बताया कि मेरी पत्नी से मेरी कहासुनी हो गई थी उस दिन मैं क्रिकेट खेलने चला गया था उसके बाद मेरी पत्नी ने गुस्से में तेजाब पी लिया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण नाम व पता-**

1.त्रिलोक नाथ पुत्र सतीश कुमार निवासी गली नम्बर 1 पुष्पा गार्डन तिलकराम कालोनी सोम बाजार निकट पाल डेयरी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष। (मृतका का पति)

2.रविन्द्र पुत्र सतीश कुमांर निवासी गली नम्बर 1 पुष्पा गार्डन तिलकराम कालोनी सोम बाजार निकट पाल डेयरी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष। (मृतका का जेठ)

**आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-**

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम

## थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा लाठी डन्डो से लैस होकर रेस्टोरेन्ट में जबरन घुसकर तोड़ फोड़ कर आमजन में दहशत का माहौल बनाकर लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न कर भगदड का माहौल उतपन्न करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 8-6-25 को वादी श्री अक्षित त्यागी पुत्र सतीश त्यागी निवासी अपनी रसोई रेस्टोरेन्ट राजनगर एक्सटेंशन ने सूचना दी कि कुछ बदमाशो द्वारा समय करीब 23.30 बजे मेरे रेस्टोरेन्ट में लाठी डन्डे लेकर घुस आये, और आते ही बिल काउन्टर पर बैठे मैनेजर के साथ मारपीठ करते हुए पूरे रेस्टोरेन्ट में तोड फोड शुरु कर दी, जिससे वहां पर खाना खा रहे लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे, पूरे रेस्टोरेन्ट में अफरातफरी मच गयी, उक्त सूचना पर तत्काला थाना नन्दग्राम पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

**कार्यवाही का विवरण-**

उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमो का गठन कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरो व लोकल इनपुट की मदद से दिनांक 8-6-25 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्तगण को एएलटी कट के पास से गिरफ्तार किया गया, अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**अभियुक्तण का नाम व पता -**

1.राजदीप त्यागी पुत्र दयान्नद त्यागी निवासी सद्दीक नगर नियर एमबी गर्ल्स कॉलेज सिहानी थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र – 34 वर्ष

2. अन्शी त्यागी पुत्र सोमेन्द्र त्यागी निवासी ग्राम डिडौली मुरादनगर गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष

3. मोन्टी जाट उर्फ मनीष चौधरी पुत्र नरेश निवासी ग्राम शाहजहाँपुर थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष।

**अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-**

अभि0 राजदीप त्यागी उपरोक्त के विरुद्ध थाना सिहानी गेट पर 01 अभियोग आर्मस एक्ट का, 01 अभियोग धोखाधडी का, 01 अभियोग जुआ अधि0 का पंजीकृत है।

अभि0 मोन्टी जाट उपरोक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग चोरी का पंजीकृत है।

**पूछताछ का विवरण-**

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण ने बताया कि दिनांक 6-6-25 को हम लोग उक्त रेस्टोरेन्ट पर खाना खाने गये थे, जहां पर खाना देर से देने को लेकर मैनेजर व रेस्टोरेन्ट मालिक के साथ विवाद हो गया था। इसी बात से खिन्न होकर हम लोगो ने कल अपने अन्य दोस्तो के साथ बैठकर योजना बनाकर रेस्टोरेन्ट पर हमला कर वहां पर तोड फोड कर दी।

**गिरफ्तारी करने वाली टीम--**

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम

## शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष चेकिंग अभियान

पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद महोदय के निर्देशों के क्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं कानून व्यवस्था, गाजियाबाद के आदेशानुसार यातायात पुलिस द्वारा कमिश्नरेट गाजियाबाद के नगर/ट्रांस हिंडन/ग्रामीण जोन में शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। अपर पुलिस उपायुक्त, यातायात द्वारा नगर/ट्रांस हिंडन/ग्रामीण जोन में अभियान के दृष्टिकोण से प्रमुख स्थानों/तिराहों/चौराहों का चिन्हीकरण कर अतिरिक्त यातायात पुलिस बल नियुक्त किया गया एवं अभियान के अंतर्गत प्रभावी कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए स्वयं भ्रमणशील रहकर चेकिंग स्थलों का निरीक्षण किया गया। अभियान के दौरान यातायात पुलिस द्वारा सघन/प्रभावी चेकिंग करते हुए ब्रेथ एनालाइजर की मदद से कुल 568 वाहन चालकों को चेक किया एवं नशे की हालत में वाहन चलाते पाए जाने पर कुल 89 वाहन चालकों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की गयी। यह अभियान आगे भी निरंतर रूप से जारी रहेगा।

यातायात पुलिस सभी आमजनों से अपील करती है, कि शराब या अन्य मादक द्रव्यों का सेवन कर वाहन ना चलायें एवं सदैव यातायात नियमों का पालन करें।

**किसी भी प्रकार की यातायात सम्बन्धी समस्या/सुझाव हेतु यातायात पुलिस के कण्ट्रोल रूम नंबर 9643322904 पर संपर्क करें।**